नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :बल्लूवाली | पटवार मण्डल :जयरामपुरा | भू.अ.नि.वृत :चलावता | तहसील:खण्डेला | जिला:सीकर

नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :370 11/10/2021	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2074-2077
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1159/971	1.0600	बारानी 3	2.51	1.) हरलाल पुत्र सेडू हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई सा. नोरंगपुरा खातेदार	263	1.) नगरपालिका श्री माधोपुर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि --बदस्तूर खसरा--	1159/971	1.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	
खाता : 228	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0600	कुल काश्तकार : 1			खाता : 263	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 35	कुल क्षेत्रफल: 12.6147		

(क)पटवारी की रिपोर्ट : श्रीमान जी, मुताबिक 90(क) LR Act 1956 एवं कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला के आदेश क्रमांक भू.अ. 2021 निर्णय 2658 दिनांक 15.09.21 की पालना में नामांतरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु सादर पेश है।

हस्ताक्षर 11/10/21
पटवारी का नाम Kallu Ram
दिनांक

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट : जांच की गई मुताबिक समर्पण अंकन दुरुस्त है।

हस्ताक्षर
भू.अ.निरीक्षक का नाम सुरेश कुमार
दिनांक 11/10/2021

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

खाता : 228	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0600	कुल काश्तकार : 1	खाता : 263	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 35	कुल क्षेत्रफल : 12.6147

नामान्तरण संख्या 370 स्वीकृत 22/10/2021

हस्ताक्षर ....
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम..................
दिनांक ....

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनॉक : 1 [10/11/2021 11:37:47 AM]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Designation : Tehsildar
Date: 2021.10.25 10:35:32 IST
Reason: Approved
Location:

प्रारुप–11

{नियम 7 (1) देखिए}

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर

मामला सं. 1764 और 2021 वर्ष

1. श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी शिवपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु।

आदेश

दिनांक 13/09/2021

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
खण्डेला (सीकर)	बल्लुवाली	1159/971	1.0600 हैक्टर

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रुप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र और शपथ पत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह है कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है मैनें संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति का रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/ विकास योजना/ स्कीम के अनुरुप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनिमय की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित कर भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयेाग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 1159/971 माप रकबा 1.0600 हैक्टर को ग्राम राजस्व बल्लुवाली तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(5) उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए गैर कृषिक प्रयोजनार्थ में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13/09/2021 को पारित किया गया ।

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

सं. 1765-68

नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर
दिनांक 13/09/2021

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण श्रीमाधोपुर।
2. तहसीलदार, खण्डेला तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी शिवपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4. सुरक्षित पत्रावली

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर